


21/12/23

पत्रावली पेश हुई। वहील पत्रों अ,  
नहीं है। प्रकरण से सम्बन्धित पत्रों  
का मूल्यांकन श्वारिज से चुका है।  
वाडफर से अभाव में प्रयोग - पत्र  
दीआई के ~~का~~ पलाय जाते का  
कोई अर्थ नहीं है। अतः प्रयोग  
पत्र दीआई इकी शर पर कस्कीकार  
पर श्वारिज की जाती है।  
पत्र जहाँ प्रेसल-शुमार होकर नम्बर  
से कम है। बारिज पत्र

  
सहायक कलेक्टर  
लखनसोट जिला-दीसा (राज०)